बीएसएनएल-एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन का संयुक्त मंच
नई दिल्ली

सं. जेएफ/एमओसी/एमआईएन/2024 23 अगस्त, 2024

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, माननीय संचार मंत्री, संचार भवन, नई दिल्ली-110001

आदरणीय महोदय,

विषय: 01-01-2017 से देय बीएसएनएल/एमटीएनएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संशोधन के समाधान में अत्यधिक, प्रेरित और अनुचित देरी - के संबंध में। आंदोलन करने की सूचना

बीएसएनएल/एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन का संयुक्त मंच, जिसमें 2.5 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ संगठन शामिल हैं, पिछले सात वर्षों से बीएसएनएल/एमटीएनएल के 5 लाख से अधिक पेंशनर्स के प्रति अड़ियल दूरसंचार विभाग की पूर्ण असंवेदनशीलता के कारण, बीएसएनएल/एमटीएनएल पेंशनर्स की पेंशन संशोधन की वास्तविक और वैध मांग को निपटाने में दूरसंचार विभाग की अभूतपूर्व उदासीनता के खिलाफ अपना कड़ा विरोध और आक्रोश दर्ज करने के लिए निम्नलिखित आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए विवश है।

1. 05-09-2024 को पूरे देश में सीसीए कार्यालयों और धर्म तक मार्च।

2. दिल्ली चलो - 12-11-2024 को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में धरना।

02-07-2024 को पूरे देश में सभी स्तरों पर मांग दिवस मनाया गया जिसमें वृद्ध और बीमार पेंशनभोगियों के गुस्से और पीड़ा को दर्शाते हुए अभूतपूर्व भागीदारी की गई।

हम एक बार फिर आपको 5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन के अत्यधिक वैध और न्यायसंगत मुद्दे के समाधान न होने के बारे में निम्नलिखित दुखद और पीड़ादायक तथ्यों से अवगत कराते हैं, जिनमें से हजारों की पिछले सात वर्षों के दौरान दर्दनाक मृत्यु हो गई, केवल इसलिए कि पेंशन संशोधन के उनके वैध अधिकार का समाधान नहीं हुआ।

1. दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को 01-10-2000 को नई इकाई, बीएसएनएल में सामूहिक रूप से शामिल किया गया था, जिससे उन्हें बेहतर संभावनाएं और पेंशन का आश्वासन मिला, साथ ही यूओआई के कैबिनेट निर्णय के माध्यम से उन्हें स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया कि बीएसएनएल/एमटीएनएल में उनके समावेश के परिणामस्वरूप उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के बराबर माना जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के उपरोक्त निर्णय को सुनिश्चित करने वाले उचित प्रावधानों के साथ नियम 37ए को शामिल करके सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 में उचित संशोधन किया गया। तदनुसार, नियम 37ए के इन प्रावधानों के अनुरूप, बीएसएनएल/एमटीएनएल में समाहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार की समेकित निधि से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 01-01-2007 से देय पेंशन संशोधन को तदनुसार नियम 37(ए) के प्रावधानों के अनुरूप निपटाया गया।

2. हालांकि, 01-01-2017 से देय पेंशन संशोधन के मामले में, शुरू में दूरसंचार मंत्रालय ने निराधार और निराधार रुख अपनाया था, जो नियम 37(ए) में निहित और निर्धारित स्पष्ट प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन था कि पेंशन संशोधन आंतरिक रूप से वेतन संशोधन से जुड़ा हुआ है और चूंकि बीएसएनएल वेतन संशोधन को लागू करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए पेंशन संशोधन संभव नहीं है।

3. लेकिन, वैधानिक नियम 37(ए) के उप नियम 8 के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीएसएनएल/एमटीएनएल में शामिल दूरसंचार विभाग के कर्मचारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माने जाएंगे और पेंशन की गणना इन नियमों के तहत की जाएगी। इसके अलावा, निहितार्थ से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गणना उसी तरह की जाएगी जैसे कि उसी दिन सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में की जाती है। 4. "यह अत्यंत प्रासंगिक और सर्वोपरि महत्व की बात है कि बीएसएनएल/एमटीएनएल के समाहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एफआर 116 और एफआर 117 ए के प्रावधानों के अनुसार, अपने आईडीए वेतनमानों की अधिकतम सीमा पर सरकार को पूर्ण रूप से पेंशन अंशदान का

भुगतान किया है, जिससे, कुल मिलाकर, उनके प्रति सरकार की पेंशन देयता का दायित्व पूरा हो रहा है।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रावधान एफआर 117 ए में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि एफआर 116 के तहत पेंशन अंशदान की दर सरकारी कर्मचारी को वह पेंशन सुरक्षित करने के लिए तैयार की जाएगी जो उसे सरकार के अधीन सेवा करके मिलती यदि उसे विदेशी सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता।

नियम 37(ए) के उपरोक्त प्रावधानों से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बीएसएनएल/एमटीएनएल के सेवानिवृत्त समाहित कर्मचारियों ने उनके प्रति सरकार की पेंशन देयता को पूर्ण रूप से पूरा किया है और उनका पेंशन संशोधन बीएसएनएल/एमटीएनएल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी संशोधन से दूर-दूर तक जुड़ा नहीं है। बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा वहन किया जाना है। इसलिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के आधार पर 01-01-2017 से देय पेंशन संशोधन की मांग, वेतन संशोधन को अलग करना बिल्कुल सही और पूरी तरह से न्यायोचित है। 5. दूरसंचार विभाग भी इन तथ्यों से आश्वस्त था कि लंबे समय तक आंतरिक परामर्श और नोडल मंत्रालयों के साथ 2022 में दूरसंचार विभाग की फाइल नोटों के अनुसार पेंशन संशोधन पर सहमत होना पड़ा। इस निर्णय के आधार पर ही दूरसंचार विभाग द्वारा 17-10-2022 को सभी बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई गई थी। 6. इस बैठक में तत्कालीन सदस्य (सेवाएं), दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित कहा था (क) पेंशन संशोधन को वेतन संशोधन से अलग कर दिया जाएगा। (ख) संभावित विसंगतियों से बचने के लिए 2017 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 01-01-2017 से नए वेतनमान पर काल्पनिक निर्धारण दिया जाएगा। एकमात्र असहमति दूरसंचार विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत फिटमेंट की पेशकश पर थी। उच्च फिटमेंट। 7. फाइल को तदनुसार संसाधित किया गया और लगभग अंतिम रूप दिया गया। जब संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने 21 मार्च, 2023 को सदस्य (वित्त) और सदस्य (सेवाएं) से मुलाकात की, तो यह स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया कि यह मुद्दा हल हो जाएगा क्योंकि वे माननीय संचार मंत्री द्वारा फिटमेंट के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, संभवतः अप्रैल, 2023 के पहले सप्ताह में। दुर्भाग्य से उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण दूरसंचार विभाग को ही पता होंगे। महोदय, पिछले 91 महीनों से लंबित पेंशन संशोधन में अनुचित देरी ने बीएसएनएल/एमटीएनएल पेंशनभोगियों को गंभीर कठिनाइयों में डाल दिया है क्योंकि उनमें से अधिकांश वृद्ध और बीमार हैं और इससे भी बदतर, पेंशनभोगियों की एक बड़ी संख्या पेंशन संशोधन के अपने वैध अधिकार को प्राप्त किए बिना ही इस दुनिया को छोड़

चुकी है। उत्तर विस्तृत चर्चा के बाद, डीओटी ने अंततः आश्वासन दिया था कि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

ऊपर बताए गए स्पष्ट तथ्यों के बावजूद, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे न्यायसंगत पेंशन संशोधन के निष्पक्ष अनुरोध पर तुरंत विचार करें और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के वैधानिक नियम 37(ए) में निहित स्पष्ट रूप से परिकल्पित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करें।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीएसएनएल/एमटीएनएल के बीमार और वृद्ध पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन की इस अत्यंत वैध और न्यायसंगत मांग के समाधान में किसी भी तरह की देरी निस्संदेह विनाशकारी परिणाम लाएगी।

इसलिए, हम एक बार फिर आपसे इस ज्वलंत मुद्दे के यथाशीघ्र उचित समाधान के लिए हस्तक्षेप करने और सरकार और बीएसएनएल/एमटीएनएल दोनों में लंबी सेवा के दौरान अपना खून-पसीना एक करने वाले वरिष्ठतम नागरिकों के आंदोलन को टालने का अनुरोध करते हैं।

सौजन्य सहित, आपका सादर।

(के. जी. जयराज) संयोजक, संयुक्त मंच एवं महासचिव अखिल भारतीय बीएसएनएल डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन दादा घोष भवन, नई दिल्ली (मोबाइल: 9447455633)

(डी.डी. मिस्त्री) महासचिव बीएसएनएल डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन (INDIA) अहमदाबाद (मोबाइल: 9879090682)

(जी.एल. जोगी) महासचिव, एसएनपीडब्ल्यूए। नई दिल्ली (मोबाइल: 9868217799)

(एच.एफ. चौधरी) महासचिव अखिल भारतीय केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स एसोसिएशन मुख्यालय पुणे (फोन: 020-24473757,24493757)

(आर.के. मुदगल) महासचिव एमटीएनएल सेवानिवृत्त कार्यकारी कल्याण संघ, नई दिल्ली (मोबाइल: 9315761756)

(राजेंद्र प्रसाद) महासचिव एमटीएनएल वरिष्ठ कार्यकारी पेंशनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली (मोबाइल: 9969831245)

(आर.पी. शर्मा) महासचिव, एमटीएनएल डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली (मोबाइल: 9968075051)

वी.के. गंगवार (वी.के. गंगवार) महासचिव एमटीएनएल सेवानिवृत्त कार्यकारी कल्याण संघ, मुंबई (मोबाइल: 9869201751)

प्रतिलिपि:

(1) श्री नीरज मित्तल, सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली-110001।

(2) श्री रोहित शर्मा, सदस्य (सेवा), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली-110001।

(3) श्री मनीष सिन्हा, सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली-110001।